

समाहरणालय, मुंगेर ।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक ...११.../आ०प्र० दिनांक...२६-५-०१५

प्रेषक,

नरेन्द्र कुमार सिंह,  
भा०प्र०से०  
समाहर्ता, मुंगेर ।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,  
बिहार - पटना ।

विषय :- वर्ष 2014 - 15 के संभावित बाढ को देखते हुए बाढ साहाय्य संबंधी अत्यावश्यक अल्पकालीन निविदा का सूचना प्रकाशित कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस पत्र के साथ अल्पकालीन निविदा की सूचना 5 (पाँच) प्रतियाँ एवं सी०डी० संलग्न कर इसके साथ भेजी जाती है ।

अनुरोध है कि इसका प्रकाशन दो प्रमुख समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय ।

विश्वास भाज

समाहर्ता, मुंगेर ।

ज्ञापांक...११.../आ०प्र० दिनांक...२६-५-०१५

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी समाहर्ता, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अपने जिला मे निविदा की सूचना का प्रचार प्रसार करने की कृपा की जाय ।

प्रतिलिपि : जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।

समाहर्ता, मुंगेर ।

## समाहरणालय, मुंगेर।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या:- 01 / 2014-15

वर्ष 2014 के संभावित बाढ़ के समय प्रभावित परिवारों को साहाय्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराने के लिए अधोलिखित वस्तुओं की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होगी। तदनुसार निम्न सामग्रियाँ जिसकी पूर्ण विवरणी अंकित है, के दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबन्द लिफाफा में आमंत्रित की जाती है।

(1) निविदा दाताओं को मो0 10,000/- (दस हजार रुपये) की जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला नजारत प्रशाखा मुंगेर में जमा करनी होगी जो जिला पदाधिकारी मुंगेर के नाम से विकलनीय होगा। निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि 3.6.2014 के अपराह्न 02:00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

### सामग्रियों की विवरणी

क्रमांक	सामग्री का नाम	साईज	अन्य विवरण
1	2	3	4
1.	पोलीथिन सीट्स	4 मीटर x 5 मीटर (250 माइक्रोन का)	दर प्रति किलो (डी0जी0एस0एण्ड डी0 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड दर के अनुसार)
2.	नाव परिचालन संबधी लॉगबुक		दर प्रति सैकड़ा
3.	प्लास्टिक थैला	5 kg एवं 2.5 Kg का (250 माइक्रोन का)	दर प्रति किलो में अंकित होगा।
4.	चूड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
5.	चना/दाल मसूर/अरहर/चना/मूंग	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
6.	गुड़ दानेदार सफेद	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
7.	सत्तु चना का	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
8.	आयोडाईज्ड साल्ट	1 किलोग्राम का पैकेट	दर प्रति क्विंटल में होगा।
9.	दिया-सलाई मंझौला साईज	उत्तम किस्म का	प्रति पैकेट 12 की संख्या में होगा।
10.	मोमबत्ती	लम्बाई 8.5", गोलाई 2.5	प्रति पैकेट 8 की संख्या में होगा।
11.	चीनी	मोटा	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
12.	मार्किन कपडा का थैला	लम्बाई 2 फीट चौड़ाई 1. 5 फीट	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
13.	लिकेड़ी जलावन सूखा	-	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
14.	पावरोटी	200 ग्राम का पैकेट	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।


15.	मिनरल वाटर	उत्तम किस्म का	दर प्रति बोतल में अंकित होगा।
16.	आटा उत्तम किस्म	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
17.	सरसों तेल (ISI मार्का सहित)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
18.	मसाला जीरा/हल्दी/धनिया/लाल मिर्च पाउडर/गोल मिर्च	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम अलग -अलग में अंकित होगा।
19.	आलू	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
20.	प्याज	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
21.	जेनरेटर भाड़े पर	-	प्रतिदिन
22.	जेनरेटर से चलने वाले सभी प्रकार के लाईट	मरकरी, बल्ब, सी0एफ0एल0 बल्ब, एवं हैलोजेन, इत्यादि	प्रतिदिन
23.	वाटर प्रूफ टेन्ट पंडाल	तिरपाल, सूती एवं प्लास्टिक इत्यादि	प्रतिदिन
24.	खाना बनाने वाला सभी प्रकार का बर्तन	-	प्रतिदिन
25.	खाना बनाने का गैस/चुल्हा भट्ठी	-	प्रतिदिन
26.	धोती	-	प्रति नग
27.	साडी	-	प्रति नग
28.	लूंगी	-	प्रति नग
29.	गमछा	-	प्रति नग
30.	गंजी	-	प्रति नग
31.	दरी उत्तम किस्म का	-	प्रति नग
32.	थाली स्टील का	-	प्रति नग
33.	कटोरा स्टील का	-	प्रति नग
34.	चटाई	-	प्रति नग
35.	ग्लास स्टील का	-	प्रति नग

#### निविदा की शर्तें :-

1. निविदा स्वीकृती के पश्चात संबंधित सफल आपूर्तिकर्ता को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूर्व में ही एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि आपूर्ति आदेश के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या साईज गुणवत्ता मात्रा के अनुसार समानों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरुद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाई की जायेगी।
2. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलड/मोहर बंद लिफाफे में ली जायेगी। क्रमांक 01 के निविदा दाता के उद्योग विभाग के निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कराना होगा एवं तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
5. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सभी सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।

6. खाद्यान्न की शुद्धता एवं ताजगी अनिवार्य है। निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा।
7. निविदा के साथ अपनी दुकान की अनुज्ञापति वाणिज्य कर निबंधित वैट सं० एवं आय कर विभाग का स्वच्छता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा है।
8. निविदा के सभी सामग्रियों का दर तथा सभी तरह के कर को अलग-अलग अंकित करते हुए कुल दर को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यकता है।
9. निविदा निर्धारण के समय निविदा दाता या उनके प्राधिकृत कय समिति के समक्ष सामग्रियों के साथ उपस्थित रहेंगे।
10. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगा।
11. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्ति कर्त्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. स्वीकृत निविदा दाताओं को छोड़कर शेष जमा राशि वापस कर दी जायेगी।
13. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
14. कोई भी निविदा या दावा मुंगेर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होग। विशेष जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन प्रशाखा मुंगेर जिला से सम्पर्क कर सकते हैं।
15. आपूर्ति की गई सामग्री के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वैट/आयकर की कटौती एक मुस्त भुगतान के समय की जायेगी।
16. आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वी०एस०टी०/टी०ओ०पी० देय होगा जिसकी कटौती एक मुस्त भुगतान के समय की जायेगी।
17. सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमान्यता दी जायेगी।

विस्तृत जानकारी के लिए जिला के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

  
जिला पदाधिकारी  
मुंगेर।